



टी बोर्ड भारत Tea Board India

14, बी.टी.एम.सरणी (ब्रेबोर्न रोड) कोलकाता- 700 001

14, B.T.M. Sarani (Brabourne Road) Kolkata – 700001

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार के अधीन)

(Under Ministry of Commerce & Industry, Dept. of Commerce. Govt of India)

www.teaboard.gov.in

दिनांक: 03.02.2026

कार्यालय आदेश सं. 03/2026

क्यूसीएल, सिलीगुड़ी और डीटीआरडीसी, कर्सियांग की गतिविधियों से संबंधित पूर्व जारी सभी आदेशों को रद्द करते हुए, अधोहस्ताक्षरी यह कहने का निदेश हुआ है कि बोर्ड के सक्षम अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से डॉ. महिपाल सिंह, निदेशक (अनुसंधान), टी बोर्ड, कोलकाता को निम्नलिखित कर्तव्य एवं जिम्मेदारियां सौंपी हैं:-

1. टी आर ए एवं उपासी के अनुसंधान संबंधी सभी कार्य का समन्वय और निगरानी करना।
2. वह परियोजना निदेशक को रिपोर्ट करेंगे, जो डीटीआरडीसी और क्यूसीएल का कामकाज देखते हैं।
3. चाय परिषद से संबंधित कार्यों के कार्यान्वयन की देखरेख करना।
4. सिलीगुड़ी के क्यूसीएल के आधुनिकीकरण के काम की निगरानी करना।
5. टीडीपीएस योजना के तहत अनुसंधान घटकों से संबंधित कार्यों की देखरेख करना।
6. वह कार्यक्रमों का कैलेंडर तैयार करने और कार्यशालाएं आयोजित करने जैसे सभी वैज्ञानिक सेमिनार और कार्यशालाएं के प्रभारी होंगे और उपाध्यक्ष को रिपोर्ट करेंगे।
7. उन्हें टी बोर्ड की वैज्ञानिक विस्तार गतिविधियों के तहत 'फार्म फील्ड स्कूलों' और 'चाय बंधु' से जुड़े सभी कामों की निगरानी करनी होगी। उन्हें 'फार्म फील्ड स्कूलों' के कार्यक्रमों का कैलेंडर तैयार करना होगा और अधिकारियों को सौंपे गए कामों की निगरानी करनी होगी।
8. जैसा कि ऊपर बताया गया है उन्हें सौंपे गए कार्यों से संबंधित रिपोर्ट तैयार करेंगे और समय-समय पर उपाध्यक्ष को प्रतिपुष्टि देंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

अमृता

(डॉ. अमृता चक्रवर्ती)

सचिव (प्रभारी)

वितरण:

1	डॉ. महिपाल सिंह, निदेशक (अनुसंधान), टी बोर्ड, कोलकाता	
2	प्रभारी क्यूसीएल, सिलीगुड़ी और डीटीआरडीसी, कर्सियांग	
3	बोर्ड के मुख्यालय, कोलकाता के सभी विभागाध्यक्ष (उपाध्यक्ष को छोड़कर)	
4	कार्यकारी निदेशक, टी बोर्ड, कून्नूर एवं गुवाहाटी	
5	उ नि चा वि, सिलीगुड़ी, फ स अ, पालमपुर और वि अ (उ प भा), नई दिल्ली	
6	टी बोर्ड के सभी क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय	
7	उपाध्यक्ष और सचिव के निजी सहायक	
8	आईटी कक्ष	बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित।
9	स्थापना शाखा	अतिरिक्त प्रतियां सहित .